रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1980 (भाद्रपद 15, 1902)

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1980 (BHADRA 15, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	935
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1103
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	949
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1907
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3099
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	303
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	9509
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	451
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	57
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2627
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	139

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	535
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1103
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	949
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	9509
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	451
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	57
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices Issued by Statutory Bodies	2627
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	139

*Folio not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 1980

सं० 71-प्रेज़/80—राष्ट्रपति सिक्किम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री माक्सवैल पैरेइरा कामथ,
पुलिस अधीक्षक,
गंगटोक,
सिक्किम ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

1 मार्च, 1979 को लगभग 17.00 बजे केन्द्रीय जेल, गंगटोक में एक दंगा हो गया । सूचना प्राप्त होने पर गंगटोक पुलिस अधीक्षक श्री माक्सबैल पैरेइरा कामथ उपलब्ध स्टाफ को साथ लेकर तुरन्त घटनास्थल की ओर बढ़े । पुलिस के पहुंचने से पहले कैदी सभी जेल वार्डरों और अन्य कर्मचारियों पर हावी हो गए और उनको जेल से बाहर निकाल दिया और जेल पर कब्जा कर लिया । दंगे का कारण यह था कि एक अभियुक्त ने जो जेल में सजा काट रहा था शराब मांगी थी जिसे जेल कर्मचारियों ने स्वीकार नहीं किया । इससे क्रोधित होकर उस अभियुक्त ने विद्रोह संगठित किया और जेल वार्डरों पर आक्रमण किया । कैदियों ने दीवारें और दरवाजे तोड़ दिए और जेल के अन्दर जो भी चीजें उनके हाथ लगी उन सबको जला दिया ; उन्होंने जेल के मुख्य द्वार को भी आग लगा दी और द्वार पर आग का एक बड़ा घेरा बना दिया ताकि पुलिस दल वहां से अन्दर न आ सके । वे जेल के भीतर से भारी पथराव और लोहे तथा कंक्रीट के टुकड़े फैंक कर आक्रमण करने लगे । कैदियों और पुलिस दल के बीच, दो घंटे से अधिक तक लड़ाई होती रही जिसके दौरान पुलिस दल के कई व्यक्ति हताहत हो गए । श्री कामथ के सिर पर भी चोटें आई । फिर भी अपनी चोटों और द्वार पर कैदियों द्वारा डाली गई बाधाओं की परवाह न करते हुए श्री कामथ जेल के अन्दर जाने के प्रयास में आग के घेरे को पार कर जेल के अन्दर पहुंच गए । वे स्वयं आग के घेरे को पार कर गए । उन पर तुरन्त कैदियों ने पत्थरों एवं अन्य चीजें फैंक कर आक्रमण किया । श्री कामथ को जेल के भीतर अंधेरे के कारण कार्य करने में कठिनाई हुई । कैदियों ने श्री कामथ पर जलते अंगारे और गरम राख फैंकी और उन पर लंबे की छड़ों और अन्य हथियारों से आक्रमण भी किया । पुलिस के एक दल ने उनका अनुसरण किया और वे भी जेल के अन्दर पहुंच गए । कैदियों को शीघ्र वश में कर लिया गया ।

इस कार्रवाई में श्री माक्सवैल पैरेइरा कामथ ने उत्कृष्ठ वीरता, पहल शक्ति एवं उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 मार्च, 1979 से दिया जाएगा ।

दिनांक 28 अगस्त 1980

सं० 72-प्रेज़/80—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मेघ सिंह, (स्वर्गीय)
कांस्टेबल संख्या 281,
सिविल पुलिस,
जिला कानपुर,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

11 अक्तूबर, 1972 की रात के 9 बजे कानपुर में माल रोड़ पर एक कुख्यात अभ्यस्त अपराधी नफीस को उसके साथी नबाब सहित देखा गया । सूचना मिलने पर उप-निरीक्षक श्री कैलाश नारायण सिंह, हैड कांस्टेबल श्री राम बहादुर सिंह और कांस्टेबल श्री मेघ सिंह के साथ घटनास्थल की ओर बढ़े जहां पर अपराधियों के उपस्थित होने की सूचना थी । तीनों पुलिस अधिकारी उनको काबू में करने और गिरफ्तार करने के लिए अपराधियों की तरफ तुरन्त बढ़े । श्री मेघ सिंह सबसे आगे थे । श्री कैलाश नारायण सिंह और श्री राम बहादुर सिंह श्री मेघ सिंह के पीछे थे । श्री राम बहादुर सिंह और मेघ सिंह दोनों ने एक-एक डंडा ले रखा था । पुलिस को देख कर अपराधी नफीस और उसका साथी भाग खडे हुए और तार घर के साथ-साथ दौड़ते हुए एक तंग गली में मुड गए । श्री मेघ सिंह ने अपराधियों का पीछा किया । नफीस ने श्री मेघ सिंह

पर गोली चलाई किन्तु निशाना चूक गया । उसके बाद दोनों अपराधी एक नीची चार दीवारी वाले मकान में कूद गए । तीनों पुलिस कर्मचारी भी दीवार को फांद गए और अपने जीवन की परवाह न करते हुए नफीस पर झपट पड़े और उससे पिस्तौल छीन ली । अपने को पूर्णत: जाल में फंसा हुए जान कर नवाब ने चिल्ला कर नफीस से अपने चाकू का प्रयोग करने के लिए कहा । नफीस ने वीर सिपाही श्री मेघ सिंह के चाकू घोंप दिया जो वहीं पर गिर गए । इस पर श्री राम बादुर सिंह नफीस पर झपटे और उसका चाकू छीनने की कोशिश की । श्री राम बहादुर की दाएं हाथ पर चाकू की चोटें लगी जिनसे खून बहने लगा किन्तु उन्होंने नफीस को पकड़े रखा और अन्त में उस पर काबू पा लिया गया । श्री मेघ सिंह को शीघ्र अस्पताल भेजा गयातु परन्तु उपचार किए जाने से पहले ही घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई ।

इस मुठभेड़ में कांस्टेबल श्री मेघ सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, पहल शक्ति एवं उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 अक्तूबर, 1972 से दिया जाएगा ।

सं० 73-प्रेज/80—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद
श्री राम बहादुर सिंह,
हैड कांस्टेबल, संख्या 93,
सिविल पुलिस,
जिला कानपुर,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

11 अक्तूबर, 1972 की रात के 9 बजे कानपुर में माल रोड़ पर एक कुख्यात अभ्यस्त अपराधी नफीस को उसके साथी नवाब सहित देखा गया । सूचना मिलने पर उप-निरीक्षक श्री कैलाश नारायण सिंह, हैड कांस्टेबल श्री राम बहादुर सिंह और कांस्टेबल श्री मेघ सिंह के साथ घटनास्थल की ओर बढ़े जहां पर अपराधियों के उपस्थित होने की सूचना थी । तीनों पुलिस अधिकारी उनको काबू में करने और गिरफ्तार करने के लिए अपराधियों की तरफ तुरन्त बढ़े । श्री मेघ सिंह सबसे आगे थे, श्री कैलाश नारायण सिंह और श्री राम बहादुर सिंह श्री मेघ सिंह के पीछे थे । श्री राम बहादुर सिंह और श्री मेघ सिंह दोनों ने एक-एक डंडा ले रखा था । पुलिस को देख कर अपराधी नफीस और उसका साथी भाग खड़े हुए और तार-पर के साथ-साथ दौड़ते हुए एक तंग गली में मुड़ गए । श्री मेघ सिंह ने अपराधियों का पीछा किया । इसी बीच नफीस ने श्री मेघ सिंह पर गोली चलाई किन्तु निशाना चूक गया । उसके बाद दोनों अपराधी एक नीची चार दीवारी वाले मकान में कूद गए । तीनों पुलिस कर्मचारी भी दीवार को फांद गए और अपने जीवन की परवाह न करते हुए नफीस पर झपट पड़े और उसके पिस्तौल को छीन लिया । अपने को पूर्णत: घिरा हुआ जान कर नवाब ने चिल्ला कर नफीस से अपने चाकू का प्रयोग करने के लिए कहा । नफीस ने वीर सिपाही श्री मेघ सिंह के चाकू घोंप दिया जो नीचे गिर गए । इस पर श्री राम बहादुर सिंह नफीस पर झपटे और उसका चाकू छीनने की कोशश की । श्री राम बहादुर सिंह को दाएं हाथ पर चाकू की चोटें लगी । जिनसे खून बहने लगा किन्तु उन्होंने नफीस को पकड़े रखा और अन्त में उस पर काबू पा लिया गया ।

इस मुठभेड़ में हैड कांस्टेबल श्री राम बहादुर सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, साहस, सूझबूझ एवं उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 अक्तूबर, 1972 से दिया जाएगा ।

सु० नीलकण्ठन
राष्ट्रपति का उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

(प्राक्कलन समिति शाखा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 अगस्त, 1980

सं० 4/1/ई सी/80—लोक सभा के निम्नलिखित सदस्य प्राक्कलन समिति के जिसका कार्यकाल 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होगा, सदस्य निर्वाचित हुए:—

1. श्री कुम्भाराम आर्य
2. श्री चित्तू बसु
3. श्री मनोरंजन भक्त
4. श्री सन्तोष मोहन देव
4. श्री अजीत सिंह दामी
6. श्री दिगम्बर सिंह
7. श्री हीरा मोहन
8. श्री जितेन्द्र प्रसाद
9. श्री के० टी० कौशल राम
10. श्री एम० एम० लारेंस
11. श्री विलास मूत्तेमवार
12. श्री धी० आर० नहाटा
13. श्री नामग्याल
14. श्री बालासाहिब विखे पाटिल
15. श्री एस० बी० पी० पट्टाभिराम राव
16. श्री जनार्दन पुजारी
17. श्री के० प्रधानी
18. श्री के० विजयभास्कर रेड्डी
19. श्री अजीत कुमार साहा
20. श्री दयाराम शाक्य*
21. श्री नवल किशोर शर्मा

*श्री टी० आर० णमश्रा द्वारा त्यागपत्र दे दिये जाने पर उनके स्थान पर निर्वाचित

22. डा० शंकर दयाल शर्मा
23. श्री वीरभद्र सिंह
24. श्री आर० एम० स्पैरो
25. डा० सुब्रमण्यम स्वामी
26. श्री तारिक अनवर
27. श्री आर० एल० पी० वर्मा
28. श्री डी० पी० यादव
29. डा० गोलम याजदानी
30. श्री जैनुल बशर

अध्यक्ष महोदय ने श्री एस० बी० पी० पट्टाभिराम राव को समिति का सभापति नियुक्त किया है।

के० एस० भल्ला
मुख्य वित्तीय समिति अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त, 1980

सं० 4/1/80-पी० ए० सी०—लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य लोक लेखा समिति, जिसका कार्यकाल 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होगा, के सदस्य निर्वाचित हुए :

लोक सभा के सदस्य

1. श्री सतीश अग्रवाल
2. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी
3. श्री शिविर चौधरी
4. श्री के० पी० सिंह देव
5. श्री वी० एन० गाडगिल
6. श्री अशोक गहलौत
7. श्री सुनील मैत्रा
8. श्री गार्गी शंकर मिश्र
9. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
10. श्री अहमद मोहम्मद पटेल
11. श्री हरि कृष्ण शास्त्री
12. श्री सतीश प्रसाद सिंह
13. श्री जगदीश टाइटलर
14. श्री के० पी० उन्निकृष्णन
15. श्री चन्द्र जीत यादव

राज्य सभा के सदस्य

16. श्री पूरबी मुखोपाध्याय
17. श्री एन० के० पी० साल्वे
18. श्री तीरथ राम आमला
19. श्रीमती मैमूना सुल्तान
20. श्री पतित पावन प्रधान
21. प्रो० रशीदुद्दीन खां
22. श्री इन्द्रदीप सिन्हा

2. अध्यक्ष महोदय ने श्री चन्द्रजीत यादव को समिति का सभापति नियुक्त किया।

डी० सी० पाण्डे,
मुख्य वित्तीय समिति अधिकारी

(पी० यू० शाखा)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त, 1980

सं० 4/1/पी० यू०/80—लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के जिसका कार्यकाल 30 अप्रैल, 1981 को समाप्त होगा के यथाविधि सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये :

लोक सभा के सदस्य

1. श्री गुलाम नबी आजाद
2. श्री बंसी लाल
3. श्री निरेन घोष
4. श्री हरिकेश बहादुर
5. श्री आरिफ मोहम्मद खां
6. श्री एम० एम० कृष्णा
7. श्रीमती गीता मुखर्जी
8. श्री वी० के० नायर
9. श्री रामेश्वर नीखरा
10. श्री दारुर पुलय्या
11. श्री नगीना राय
12. श्री राममूर्ति
13. श्री पी० ए० संगमा
14. श्री रवीन्द्र वर्मा
15. श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा

राज्य सभा के सदस्य

1. श्री आर० रामाकृष्णन
2. श्री आर० आर० मोरारका
3. श्री श्रीकान्त वर्मा
4. श्री रामानन्द यादव
5. श्री हरि सिंह भागुबाबा महिदा
6. श्री स्वामी दिनेश चन्द्र
7. श्री सुन्दर सिंह भण्डारी

अध्यक्ष महोदय ने श्री बंसी लाल को समिति का सभापति नियुक्त किया है।

एस० पी० चानना
वरिष्ठ वित्तीय समिति अधिकारी

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 1980

संकल्प

सं० एफ० 6(2)-पी० डी०/80—सर्व साधारण को सूचना के लिए यह घोषणा की जाती है कि वर्ष 1980-81 के दौरान 25,000 रुपए तक की सामान्य भविष्य निधि तथा अन्य उसी प्रकार की निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर (जिनमें जमा की गई तथा निकाली जाने वाली राशियां शामिल हैं) ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत तथा 25,000 रुपए से ऊपर की रकम पर ब्याज की दर 8.0 प्रतिशत वार्षिक होगी ।

ये दरें पहली अप्रैल, 1980 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेंगी । सम्बन्धित निधियां निम्नलिखित हैं :—

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं)
2. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)
3. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)
4. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि
5. भारतीय आयुद्ध विभाग भविष्य निधि
6. अन्य विविध भविष्य निधि (रक्षा)
7. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि
8. सशस्त्र सेवा अधिकारी भविष्य निधि
9. भारतीय आयुद्ध निर्माण कामगार भविष्य निधि
10. अंशदायी भविष्य निधि (रक्षा)
11. भारतीय नौ सेना गोदी कामगार भविष्य निधि

2. इसके अतिरिक्त, अभिदाताओं को अगर उन्होंने पहली अप्रैल, 1976 से लेकर पांच वर्षों में अपने भविष्य निधि के खाते से कोई रकम नहीं निकाली है तो उनकी सम्पूर्ण शेष राशि पर एक प्रतिशत की दर से बोनस दिया जाएगा ।

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अपने नियंत्रण के अधीन विभिन्न भविष्य निधियों की शेष रकमों पर संबंधित वर्ष के दौरानलागू ब्याज की दरों के बारे में आवश्यक आदेश अलग से जारी किए जाएंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

मंगल दास पाल
निदेशक (बजट)

कृषि मंत्रालय
(कृषि तथा सहकारिता विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक जून, 1980

संकल्प

सं० 7-9/76-एफ० आर० वाई०/एफ० आई० पी० सी०—भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि व सहकारिता विभाग ने केन्द्रीय वानिकी मण्डल की अक्तूबर 1974 में हुई बैठक की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए वनों पर आश्रित रहने वाले उद्योगों के सम्बन्धित निम्नलिखित विकास समितियों (जिनका गठन कृषि व सिंचाई मंत्रालय के कृषि विभाग के संकल्प सं० 7-9/76 एफ० आर० वाई०/एफ० आई० पी० सी० दिनांक 29 जनवरी, 9 फरवरी, 1977 के अनुसार प्रारम्भ में तीन वर्ष की अवधि के लिये किया गया था का कार्यकाल 29 जनवरी/9 फरवरी, 1980 से 3 और वर्षों तक या आगामी आदेशों तक बढ़ाने का निर्णय किया है, क्योंकि ये समितियां वानिकी सम्बन्धी योजना बनाने तथा औद्योगिक विकास व प्रोत्साहन के लिये समेकित नीति तैयार करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों/कच्चे माल के उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा अनुसन्धान संस्थानों आदि के बीच सम्पर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आगामी निर्णय तक इन समितियों के मुख्यालयों व कार्यकलापों में कोई परिवर्तन नहीं होगा.—

1. पैनल उत्पाद विषयक विकास समिति,
2. औषधीय पौधों व दवाओं से सम्बन्धित विकास समिति,
3. पैकिंग केस विषयक विकास समिति,
4. खेल सामान उद्योग विषयक विकास समिति,
5. लुगदी व कागज विषयक विकास समिति,
6. निर्माण सम्बन्धी इमारती लकड़ी यंत्रोपयक विकास समिति,
7. दियासलाई उद्योग विषयक विकास समिति; तथा
8. औलियो-रेजिन, गोंद तथा अनिवार्य तेल विषयक विकास समिति।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्ध पक्षों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की सूचना हेतु इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

समर सिंह
संयुक्त सचिव

शिक्षा और संस्कृति मिंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 1980

संकल्प

विषय:—एशियायी खेल, 1982 के लिये संचालन समिति का पुनर्गठन।

स० एफ० 1-2/80 (ए० जी० सी० (डेस्क-IV)—भारत सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में संचालन समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है ताकि खेलों को आयोजित करने के लिये निर्धारित स्तरों के अनुसार अपेक्षित सुविधायें समय प्रदान करने, इस प्रयोजन के लिये संस्वीकृत निधियों का सरकार द्वारा स्वीकृत ढंग से उपयोग करने और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों तथा हरियाणा सरकार, दिल्ली प्रशासन दिल्ली विकास प्राधिकरण इत्यादि जैसे अन्य प्राधिकरणों द्वारा इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्रवाई के समन्वय को सुनिश्चित किया जा सके।

2. समिति का गठन इस प्रकार होगा :

अध्यक्ष शिक्षा मंत्री

सदस्य

1. वित्त मंत्री
2. निर्माण और आवास मंत्री
3. दिल्ली के उपराज्यपाल
4. अध्यक्ष, अखिल भारतीय खेल परिषद
5. अध्यक्ष, भारतीय ओलम्पिक संघ।
6. अध्यक्ष "स्नाइपस"
7. प्रधान मंत्री के सचिव
8. सचिव, शिक्षा मंत्रालय
9. सचिव, संचार मंत्रालय
10. सचिव, रक्षा मंत्रालय
11. सचिव, विदेश मंत्रालय
12. सचिव, वित्त मंत्रालय
13. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
14. सचिव, गृह मंत्रालय
15. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
16. सचिव, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय
17. सचिव, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय
18. सचिव, निर्माण और आवास मंत्रालय
19. सचिव, इलेक्ट्रोनिक्स

शिक्षा सचिव, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे

3. समिति दो अन्य सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे।

4. संचालन समिति के सन्दर्भाधीन विषय निम्नलिखित होंगे:—

(1) एशियाई खेल, 1982 के सन्तोषजनक आयोजन के लिये इस प्रयोजन के वास्ते संस्वीकृत धन राशि में से ही ऐसी सभी आवश्यकताओं की समय पर व्यवस्था करना जो सरकार की जिम्मेदारी है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ खेल स्टेडियमों, खेल गांव का निर्माण, मौजूदा खेल सुविधाओं में सुधार,

उपस्करों की खरीद और कानून और व्यवस्था, संचार, स्वास्थ्य, परिवहन इत्यादि के बारे में प्रबन्ध करना सम्मिलित हैं।

(2) उक्त प्रबन्धों की सन्तोषजनक प्रगति एवं उन्हें समय पर सुनिश्चित करने हेतु, केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों, तथा हरियाणा सरकार, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकरण इत्यादि जैसे अन्य संगठनों के कार्य का समन्वय करना। भारतीय ओलम्पिक संघ से यह आशा की जाती है कि वह खेलों के संचालन से सम्बन्धित प्रबन्धों के बारे में, जहां कहीं भी आवश्यक हो, अपनी आवश्यकताओं एवं नमूनों के बारे में बताएगा।

(3) संचालन समिति का यह दायित्व होगा कि वह एशियाई खेलों से सम्बद्ध सभी निर्णय और एशियाई खेल, 1982 से सम्बन्धित सभी मामलों पर मंत्रिमण्डल की ओर से व्यय सम्बन्धी मंजूरियों सहित आवश्यक सस्वीकृतियों भी प्रदान करे।

(4) अपनी देख-रेख में ऐसी समितियां स्थापित करे जिनकी, इसे, अपना काम काज करने के लिये, आवश्यकता हो।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना हेतु इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

दिनांक 7 अगस्त 1980

सं० एफ० 1-2/80-ए० जी० सी० (डी०-IV)—शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के संकल्प सं० एफ० 1-2/80-ए० जी० सी० (डी०-IV) दिनांक 4 अगस्त, 1980, जिसमें 1982 के एशियाई खेलों से संबंधित संचालन समिति का पुनर्गठन किया गया है, के अनुसरण में निम्नलिखित को तत्काल से संचालन समिति के सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है:—

1. श्री विद्या चरण शुक्ल, नागरिक पूर्ति मंत्री।
2. मुख्य मंत्री, हरियाणा।
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड।
4. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पा० कृ० उमाशंकर, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1980

संकल्प

विषय: जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा कार्यक्रम (औपचारिक शिक्षा प्रणाली)

सं० एफ० 12-14/80-स्कूल-4—जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करने के महत्व को स्वाधीनता प्राप्ति के शीघ्र बाद भारत द्वारा पंचवर्षीय योजनायें प्रारम्भ करते समय स्वीकार कर लिया गया था। इसके फलस्वरूप भारत सरकार को व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करना पड़ा था। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में इस समस्या का बड़े उत्साह तथा दृढ़ प्रतिज्ञा से मुकाबला करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

2. जनसंख्या की वृद्धि दर की समस्या से निपटने में शिक्षा की भूमिका को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक जनसंख्या सम्बन्धी शिक्षा कार्यक्रम अनुमोदित किया है, जिसका उद्देश्य औपचारिक शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा को शुरू करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है युवा पीढ़ी में जनसंख्या समस्या के प्रति उपयुक्त जागृति पैदा करना तथा इस सम्बन्ध में राष्ट्र के प्रति इसकी जिम्मेवारी की सूझबूझ पैदा करना।

3. राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम (औपचारिक शिक्षा प्रणाली) के समन्वय तथा कार्यान्वयन के लिये सम्पूर्ण अधिकारों सहित एक राष्ट्रीय संचालन समिति गठित करने का निश्चय किया गया है। इसके कार्य निम्नलिखित होंगे:—

(i) भारत सरकार को जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी विषयों पर सलाह देना।

(ii) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

(iii) केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सरकारी, गैर-सरकारी और अन्य कार्यान्वियन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना।

(iv) कार्यक्रम के कार्यान्वियन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना तथा उसका मूल्यांकन करना।

4. समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

अध्यक्ष

1. सचिव,
शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

सदस्य

2. निदेशक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद्

3. अध्यक्ष
शिक्षा, प्रभाग, योजना आयोग।

4. अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

5. अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

6. संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

7. जन-संचार प्रमुख,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

8. अध्यक्ष,
भारतीय परिवार नियोजन संघ

9. संयुक्त सचिव (जन-संचार साधन),
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

10. परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद

सदस्य-सचिव

11. संयुक्त सचिव (विद्यालय),
शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

5. समिति अपनी कार्यपद्धति स्वयं निर्धारित करेगी। यह समितियां तथा उप-समितियां नियुक्त कर सकती है तथा समिति की विशेष बैठक के लिये और इसकी उप-समितियों में कार्य करने के लिये व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है।

6. समिति की बैठक आवश्यक समझे जाने पर होगी परन्तु एक वर्ष में दो बार से कम नहीं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को साधारण सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

एस० सत्यम, संयुक्त सचिव

(पुरातत्व विभाग)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली-110011, दिनांक 28 अगस्त 1980

सं० 19/37/79-एम० भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन सभी संग्रहालय अब से हर शुक्रवार को बन्द रहेंगे। यह आदेश 15 सितम्बर, 1980 से लागू होगा।

बाल कृष्ण थापर, महा निदेशक

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 1980

सं० क्यू०-16011(1)/72-डब्ल्यू० ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4(iii) और (i) के साथ पढ़े गए नियम 3(ख) के अनुसरण में भारत सरकार इसके द्वारा श्री नरेन्द्र नाथ, अवर सचिव, शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय, (शिक्षा विभाग), को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से श्री एम० सी० दुबे, सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय के स्थान पर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड में एक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदनुसार, 20 दिसम्बर, 1958 /29 अग्रहायण, 1880 के भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्या ई० एण्ड पी० 4 (24)/58-दिनांक 12 दिसम्बर, 1958 में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे :—

वर्तमान प्रविष्टि:—

2. श्री एम० सी० दुबे,
सहायक शिक्षा अधिकारी,
शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय,
(शिक्षा विभाग)
कमरा संख्या 527, "ग" स्कन्ध,
[शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

के लिये निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी।

2. श्री नरेन्द्र नाथ,
अवर सचिव,
शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय,
(शिक्षा विभाग)।
[शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

सं० क्यू० 16011(1)/72—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 8 के अनुसरण में भारत सरकार इसके द्वारा श्री नरेन्द्र नाथ, अवर सचिव, शिक्षा विभाग, शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्रालय को, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से श्री एम० सी० दुबे, सहायक शिक्षा सलाहकार, शिक्षा मंत्रालय के स्थान पर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शासक मण्डल के एक सदस्य के रूप में नामित करती है।

एस० एस० सहस्रनामन, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 27th August 1980

No. 71-Pres/80.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Sikkim Police:—

Name and rank of the officer

Shri Maxwell Pereira Kamath,
Superintendent of Police,
Gangtok,
Sikkim.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 13th March, 1979 at about 1700 hours, a riot broke out in the Central Jail, Gangtok. On receipt of the information, Shri Maxwell Pereira Kamath, Superintendent of Police, Gangtok rushed to the scene with all the available staff. Before the arrival of the Police, the inmates of the Jail had overpowered and driven out all the jail warders and other staff and had taken over the jail. The riot broke out because one of the prisoner, an accused undergoing sentence in the jail had asked for supply of liquor, which could not be accepted by the jail staff. Being enraged, the prisoner organised a revolt and attacked the jail warders. The inmates broke down walls and doors and set fire to everything they could lay hands on inside the jail premises. They also burnt down the main door of the jail and built up a large fire cordon at the entrance to prevent the police force from entering it. They also indulged in heavy brick-batting and attacks with iron and concrete missiles from inside the jail. The battle between the prisoners and the police continued for more than two hours, during the course of which the police force suffered many casualities. Shri Kamath also received injuries on his head. However, in disregard to his injuries and the obstructions created by the jail inmates at the entrance, Shri Kamath crossed the fire cordon in an effort to enter the jail premises. He jumped into the fire cordon himself. He was immediately attacked by the jail inmates with brick-batting and missiles. Shri Kamath was handicapped in his task by darkness inside the jail. The prisoners threw burning flames and red hot cinders on Shri Kamath and also attacked him with iron rods and other weapons. A section of the police then followed his example and entered the jail premises. The prisoners were soon overpowered.

In this action Shri Maxwell Pereira Kamath exhibited conspicuous gallantry, initiative and a high sense of devotion to duty.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 13th March, 1979.

The 28th August 1980

No. 72-Pres/80.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police:—

Name and rank of the Officer

Shri Megh Singh, *(Deceased)*
Constable No. 281,
Civil Police,
District Kanpur,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 11th October, 1979, at 9 P.M., a notorious habitual criminal Nafis with his associate Nawab was spotted on the Mall Road in Kanpur. On receipt of the information, Shri Kailash Narain Singh, Sub-Inspector along with Shri Ram Bahadur Singh, Head Constagle and Shri Megh Singh, Constable rushed to the place where the criminals were reported to be present. All the three police officers rushed towards the criminals in order to over-power and arrest them. While Shri Megh Singh was in the front, Shri Kailash Narain Singh and Shri Ram Bahadur Singh followed Shri Megh Singh. Both Shri Ram Bahadur Singh and Shri Megh Singh were carrying a 'Danda' each. On seeing the police, the criminal Nafis and his associate took to their heels and after running by the side of the Telegraph Office turned into a narrow lane. Shri Megh Singh chased the criminals. Nafis fired at Shri Megh Singh but the cartridge misfired. Thereafter, both the criminals jumped into a house having a low boundary wall. All the three police personnel also scaled over the wall and without caring for their life pounced upon Nafis and deprived him of his pistol. Finding themselves completely trapped, Nawab shouted at Nafis to use his knife. Nafis stabbed the gallant constable Shri Megh Singh who fell down. Thereupon Shri Ram Bahadur Singh jumped on Nafis and tried to snatch away his knife. Shri Ram Bahadur Singh

received knife injuries on his right hand which started bleeding but he did not lose his grip and Nafis was finally overpowered. Shri Megh Singh was rushed to hospital but he succumbed to his injuries before he could get any medical aid

In this encounter Shri Megh Singh, constable, exhibited conspicuous gallantry, exceptional courage, initiative and devotion to duty of a very high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th October, 1972.

No. 73-Pres/80—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police:—

Name and rank of the Officer

Shri Ram Bahadur Singh,
Head Constable No. 93,
Civil Police,
District Kanpur,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 11th October, 1972 at 9 P.M., a notorious habitual criminal Nafis with his associate Nawab was spotted on the Mall Road in Kanpur. On receipt of the information, Shri Kailash Narain Singh, Sub Inspector along with Shri Ram Bahadur Singh, Head Constable and Shri Megh Singh, Constable rushed to the place where the criminals were reported to be present. All the three police officers rushed towards the criminals in order to over-power and arrest them While Shri Megh Singh was in the front, Shri Kailash Narain Singh and Shri Ram Bahadur Singh followed Shri Megh Singh. Both Shri Ram Bahadur Singh and Shri Megh Singh were carrying a 'Danda' each. On seeing the police, the criminal Nafis and his associate took to their heels and after running by the side of the Telegraph Office turned into a narrow lane. Shri Megh Singh chased the criminals. Nafis fired at Shri Megh Singh but the cartridge misfired. There after, both the criminals jumped into a house having a low boundary wall. All the three police personnel also scaled over the wall and without caring for their life pounced upon Nafis and deprived him of his pistol. Finding themselves completely trapped, Nawab shouted at Nafis to use his knife. Nafis stabbed the gallant Constable Shri Megh Singh who fell donw. Thereupon, Shri Ram Bahadur Singh jumped on Nafis and tried to snatch away his knife. Shri Ram Bahadur Singh received knife injuries on his right hand which started bleeding but he did not loose his grip and Nafis was finally overpowered.

In this encounter Shri Ram Bahadur Singh, Head Constable exhibited conspicuous courage, presence of mind and devotion to duty of a very high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th October, 1972.

S. NILAKANTAN,
Dy. Secy. to the President

LOK SABHA SECRETARIAT

(ESTIMATES COMMITTEE BRANCH)

New Delhi-110001, the 12th August 1980

No. 4/1/EC/80.—The following Members of the Lok Sabha have been elected to serve on the Committee on Estimates for the term ending on 30th April, 1981 :—

1. Shri Kumbha Ram Arya
2. Shri Chitta Basu
3. Shri Manoranjan Bhakta
4. Shri Santosh Mohan Dev
5. Shri Ajitsinh Dhabhi
6. Shri Digambar Singh
7. Shri Era Mohan
8. Shri Jitendra Prasad
9. Shri K. T. Kosalram
10. Shri M. M. Lawrence
11. Shri Vilas Muttemwar
12. Shri B. R. Nahata
13. Shri P. Namgyal
14. Shri Balasaheb Vikhe Patil
15. Shri S. B. P. Pattabhi Rama Rao
16. Shri Janardhana Poojary
17. Shri K. Pradhani
18. Shri K. Vijaya Bhaskara Reddy
19. Shri Ajit Kumar Saha
'20. Shri Daya Ram Shakya
21. Shri Nawal Kishore Sharma
22. Dr. Shankar Dayal Sharma
23. Shri Virbhadra Singh
24. Shri R. S. Sparrow
25. Dr. Subramaniam Swamy
26. Shri Tariq Anwar
27. Shri R. L. P. Verma
28. Shri D. P. Yadav
29. Dr. Golam Yazdani
30. Shri Zainul Basher

The Speaker has been pleased to appoint Shri S. B. P. Pattabhi Rama Rao as the Chairman of the Committee.

' Elected vice Shri T. R. Shamanna resigned.

K. S. BHALLA, Chief Financial Committee Officer

New Delhi, the 12th August 1980

No. 4/1/80/PAC.—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as Members of the Committee on Public Accounts for the term ending on the 30th April, 1981 :

MEMBERS OF LOK SABHA

1. Shri Satish Agarwal
2. Shri Subhash Chandra Bose Alluri
3. Shri Tridib Chaudhuri
4. Shri K. P. Singh Deo
5. Shri V. N. Gadgil
6. Shri Ashok Gehlot
7. Shri Sunil Maitra
8. Shri Gargi Shankar Mishra
9. Shri M. V. Chandrashekara Murthy
10. Shri Ahmed Mohammed Patel
11. Shri Hari Krishna Shastri
12. Shri Satish Prasad Singh
13. Shri Jagdish Tytler
14. Shri K. P. Unnikrishnan
15. Shri Chandrajit Yadav

MEMBERS OF RAJYA SABHA

16. Smt. Purabi Mukhopadhyay
17. Shri N. K. P. Salve
18. Shri Tirath Ram Amla
19. Smt. Maimoona Sultan
20. Shri Patitpaban Pradhan
21. Prof. Rasheeduddin Khan
22. Shri Indradeep Sinha.

The Speaker has been pleased to appoint Shri Chandrajit Yadav as Chairman of the Committee.

D. C. PANDE, Chief Financial Committee Officer

(P. U. BRANCH)

New Delhi-110001, the 12th August 1980

No. 4/1-PU/80.—The following members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been declared as duly elected to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term ending 30th Aril, 1981 :—

MEMBERS OF LOK SABHA

1. Shri Gulam Nabi Azad
2. Shri Bansi Lal
3. Shri Niren Ghosh
4. Shri Harikesh Bahadur
5. Shri Arif Mohammad Khan
6. Shri S. M. Krishna
7. Shrimati Geeta Mukherjee
8. Shri B. K. Nair
9. Shri Rameshwar Neekhra
10. Shri Darur Pullaiah
11. Shri Nagina Rai
12. Shri K. Ramamurthy
13. Shri P. A. Sangma
14. Shri Ravindra Varma
15. Shri Chandradeo Prasad Verma.

MEMBERS OF RAJYA SABHA

1. Shri R. Ramakrishnan
2. Shri R. R. Morarka
3. Shri Shrikant Verma
4. Shri Ramanand Yadav
5. Shri Harisinh Bhagubava Mahida
6. Shri Swami Dinesh Chandra
7. Shri Sunder Singh Bhandari

The Speaker has been pleased to appoint Shri Bansi Lal as Chairman of the Committee.

S. P. CHANANA, Senior Financial Committee Officer

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 30th August 1980

RESOLUTION

No. F.6(2)-PD/80.—It is announced for general information that accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds upto Rs. 25,000 (inclusive of deposits and withdrawals) during the year 1980-81 will carry interest at the rate of 8.5% (eight and a half percent) per annum and the interest rate of 8% (eight percent) per annum will apply to sums in excess of Rs. 25,000. These rates will be in force during the financial year beginning on 1-4-1980. The funds concerned are:—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The General Provident Fund (Defence Services).
3. The Contributory Provident Fund (India).
4. The All India Services Provident Fund.
5. The Indian Ordinance Department Provident Fund.
6. Other Miscellaneous Provident Fund (Defence).
7. The Defence Services Officers Provident Fund.
8. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
9. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
10. The Contributory Provident Fund (Defence).
11. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.

2. In addition, incentive bonus will be admissible to the subscribers at the rate of one per cent on the entire balance at their credit in case they have not withdrawn any amount from their provident fund account during the preceding five years commencing from 1st April, 1976.

3. Necessary instructions will be issued separately by the Ministry of Railways (Railway Board) concerning the rates of interest applicable during the year, in question, to the balances in the various Provident Funds under the control of that Ministry.

4. Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

M. D. PAL,
Director (Budget).

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION

New Delhi, the 12th August 1980

RESOLUTION

No. 7-9/76-FRY/FIPC.—The Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) have decided that the following Development Committees on Forest-Based Industries which were set up by the Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture) vide their Resolution No. 7-9/76-FRY/FIPC dated 29th January/9th February, 1977 initially for period of three years, would continue to function for a period of another three years with effect from 29th January/9th February, 1980 until further orders in view of the useful roles these Committees are discharging for the purpose of establishing liaison between the different Ministries, the raw material producers, the raw material users, the research organisations etc. for a unified policy on forestry perspective planning, industrial development and promotion as per recommendation of the Central Board of Forestry held in October, 1974. There will be no change in respect of functions and Headquarters of the Committees until otherwise decided.

1. Development Committee for Panel Products;
2. Development Committee for Medicinal Plants & Drugs;
3. Development Committee for Packing Cases;
4. Development Committee for Sports Goods Industry;
5. Development Committee for pulp and Paper;
6. Development Committe for Constructional Timber;
7. Development Committee for Match Industry; and
8. Development Committee for Oleo-resins, Gums and Essential Oils.

Order

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SAMAR SINGH, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 4th August 1980

RESOLUTION

Subject : Reconstitution of Steering Committee for Asian Games 1982.

No. F.1-2/80-AGC(D.IV).—Government of India have decided to reconstitute the Steering Committee under the Chairmanship of the Education Minister, in order to ensure that the facilities required for the conduct of the Games are provided according to the standards prescribed and in time, that the funds sanctioned for this purpose are utilised in the manner approved by the Government, and to coordinate the action to be taken in this regard by the various departments of the Central Government and other authorities such as Haryana Government, Delhi Administration, Delhi Development Authority etc.

2. The Composition of the Committee will be as follows :

CHAIRMAN

MINISTER OF EDUCATION

MEMBERS

1. Minister of Finance
2. Minister of Works and Housing
3. Lt. Governor, Delhi.
4. President, All India Council of Sports.
5. President, Indian Olympic Association.
6. Chairman, SNIPES
7. Secretary to Prime Minister
8. Secretary, Ministry of Education.
9. Secretary, Ministry of Communication.
10. Secretary, Ministry of Defence.
11. Secretary, Ministry of External Affairs.
12. Secretary, Ministry of Finance,
13. Secretary, Ministry of Health & Family Welfare.
14. Secretary, Ministry of Home Affairs.
15. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting.
16. Secretary, Ministry of Shiping and Transport.
17. Secretary, Ministry of Tourism and Civil Aviation.
18. Secretary, Ministry of Works and Housing.
19. Secretary, Electronics.

Education Secretary will act as Member Secretary of the Committee.

3. The Committee shall have the right to coopt such other members as it may consider necessary.

4. The terms of reference of the Steering Committee will be as follows :

(1) To organise the provision in time of all such requirements as are the responsibility of the Government out of the funds sanctioned for this purpose for the satisfactory conduct of the Asian Games, 1982. These will cover inter-alia construction of Sports Stadia, Sports Village, improvement of existing Sports facilities, purchase of equipment and arrangements in regard to law and order, communication, health, transport etc.

(2) To coordinate, for ensuring satisfactory progress and timely completion of arrangements, the work of Central Government agencies and other organisations like the Haryana Government, Delhi Administration, Delhi Development Authority etc. The IOA will be expected to indicate wherever necessary, its requirements and specifications in regard to the arrangements for the conduct of the Games.

(3) The Steering Committee will be responsible for taking all decisions in connection with the Asian Games and also give necessary sanctions including expenditure sanctions including on behalf of the Cabinet on all matters connected with the Asian Games, 1982.

(4) To set up such Committees under its overall supervision as may be necessary to discharge its functions.

Ordered that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 7th August 1980

No. F.1-2/80-AGC(D-IV).—In pursuance of the Ministry of Education and Culture's Resolution No. F.1-2/80-AGC (D-IV) dated the 4th August, 1980 reconstituting the Steering Committee for the Asian Games, 1982, the following are nominated as members of the Steering Committee with immediate effect :—

1. Shri V. C. Shukla, Minister of Civil Supplies.
2. Chief Minister of Haryana.
3. Chairman, Railway Board.
4. Chief Secretary, Government of Haryana.

P. K. UMASHANKAR, Jt. Secy.

New Delhi, the 1st August 1980

RESOLUTION

Subject : Population Education Programme (Formal Education System)

No. F.12-14/80-Schools-4.—The importance of controlling the growth rate of population was realised soon after independence when India launched the Five Year Plans. This led the Government of India to launch a massive family planning programme. Every five year plan emphasised the need for tackling this problem with greater vigour and conviction.

2. Realising the potential of education in tackling the problem of the growing rate of population, the Government of India has approved a Population Education Programme which is designed to introduce Population Education in the formal education system. The underlying object of the programme is to create in the younger generation an adequate awareness of the population problem and realization in this regard of its responsibility towards the nation.

3. It has been decided to set up a National Steering Committee with overall authority for coordination as well as implementation of the Population Education Programme (formal education system) at the National and State levels. Its functions shall be as follows :

(i) To advise the Government of India on all matters relating to the population education programme.

(ii) To ensure implementation of the programme at the National and State levels.

(iii) To coordinate between Central and State Governments and among governmental, non-governmental and other implementing agencies.

(iv) To review and evaluate from time to time the progress of implementation of the programme.

4. The Committee shall consist of the following :

Chairman

1. Secretary,
   Ministry of Education & Culture

Members

2. Director,
   National Council of Educational Research and Training
3. Chief,
   Education Division, Planning Commission
4. Chairman,
   Central Board of Secondary Education
5. Chairman,
   University Grants Commission
6. Joint Secretary,
   Ministry of Health & Family Welfare
7. Chief of Media,
   Ministry of Health & Family Welfare
8. President,
   Family Planning Association of India
9. Joint Secretary (Mass Media),
   Ministry of Information & Broadcasting
10. Project Coordinator,
    National Council of Educational Research and Training

Member-Secretary

11. Joint Secretary (Schools),
    Ministry of Education & Culture

5. The Committee shall determine its own procedure of work. It may appoint committees and sub-committees and may co-opt individuals for a particular meeting of the Committee and to serve on its sub-committees.

6. The duration of the Project is three years. (April, 1980 to March, 1983). The term of the members of the Committee shall expire on 31st March, 1983.

7. The Committee shall meet as often as necessary but not less than twice a year.

Ordered that a copy of the Resolution be sent to all State Governments, Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of the Government of India, University Grants Commission, Prime Minister's Office, National Council of Educational Research and Training and National Institute of Educational Planning and Administration.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. SATHYAM, Jt. Secy.

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi-110011, the 28th August 1980

(ARCHAEOLOGY)

No. 19/37/79-M.—All Museums under the Archaeological Survey of India will henceforth remain closed on every Friday. The order will come into force from 15th September, 1980.

B. K. THAPAR,
Director General

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 16th August 1980

No. Q-16011/3/80-WE.—In pursuance of Rule 3(b) read with Rules 4(iii) and (vi) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby appoints Shri Narinder Nath, Under Secretary, Ministry of Education and Culture (Department of Education), as a member of the Central Board for Workers' Education in place of Shri M. C. Dubey, Assistant Educational Adviser, Ministry of Education and Social Welfare, with effect from the date of issue of this Notification.

2. The following changes shall be made accordingly in the Ministry of Labour and Employment Notification No. F&P.4(24)/58 dated the 12th December, 1958/Agrahayana 29, 1880, as amended from time to time.

For the existing entry :—

"2. Shri M. C. Dubey,
Assistant Educational Adviser,
Ministry of Educaton & Social Welfare,
(Department of Education), Room No. 527 'C' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi."

The following entry shall be *substituted* :—

"2. Shri Narinder Nath,
Under Secretary,
Ministry of Education & Culture,
(Department of Education),
Shastri Bhawan, New Delhi."

No. Q-16011/3/80-WE.—In pursuance of Rule 8 of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby nominates Shri Narinder Nath, Under Secretary, Ministry of Education & Culture (Department of Education) as a member of the Board of Governors of the Central Board for Workers' Education *vice* Shri M. C. Dubey, Assistant Educational Adviser, Ministry of Education and Social Welfare with effect from the date of issue of this Notification.

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1980